कार्यालय जिला पंचायत रायपुर (छ.ग.)

Ph.no. - 0771-2426739, Fax No.- 2422124, Email- zp-raipur.cg@nic.in

//प्रेस विज्ञप्ति//

क्रमांक 3438/प्र.म.आयो.–ग्रा./जि.पं./2025 रायपुर, दिनांक 30/09/2025

कार्यालय जिला पंचायत रायपुर के पत्र क्र./3823/PMAY-G/जि.प./2024 रायपुर दिनांक 03/10/2024 के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत जिला/जनपद स्तर पर संविदा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन में जिला/जनपद स्तर पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं सहायक ग्रेड 03 के लिये एक भी पात्र उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण जिला एवं जनपद स्तर पर निम्नानुसार पदों की संविदा भर्ती हेतु पुनः विज्ञापन जारी किया जा रहा है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैं :–

क्र.	पद का नाम	जिला/जनपद स्तर	अनारक्षित		अ.जा. वर्ग		अ.ज.जा. वर्ग		अ.पि.वर्ग		कुल	
			मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला
1	सहायक ग्रेड–03	जिला स्तर	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
2	डाटा एंट्री आपरेटर	जिला/जनपद स्तर	1	–	1	–	1	–	1	–	4	–

योजनांतर्गत संविदा पदों की पूर्ति के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नियम, शर्तें एवं आवेदन पत्र दिनांक 15.10.2025 शाम 05.30 बजे तक निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर के नाम से प्रेषित किया जावे। अधिक जानकारी के लिए रायपुर के वेब साईट www.raipur.nic.in एवं https://raipur.gov.in पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है। जानकारी जिला पंचायत के सूचना पटल पर भी चस्पा किया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रायपुर (छ.ग.)

जिला स्तर के पद :–

क्र	पदनाम	संविदा वेतन	निर्धारित अर्हता	मेरिट हेतु अंक का निर्धारण	
1	सहायक ग्रेड–03	18000 / –(लेवल 4)	1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण **अथवा** पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाण पत्र तथा, 3.कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)। 4.मान्यता प्राप्त मंडल / संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (KEY) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र।	हायर सेकण्ड्री में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए	30
				अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए	30
				शासकीय कार्य का अनुभव पर 100 अंको का Weightage देते हुए (प्रत्येक वर्ष हेतु 04 अंक) **अधिकतम 20 अंक**	20
				कम्प्युटर प्रायोगिक परीक्षा पर	20
				प्राथमिकता प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण में कार्यानुभव को प्राथमिकता	

जिला/ जनपद स्तर के पद :–

4	डाटा एन्ट्रीआपरेटर	23350/–(लेवल 6)	1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण **अथवा** पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। **अथवा** कक्षा 10वी परीक्षा उत्तीण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। 2. डाटा एन्ट्री आपरेटर/ प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की गति 8000 (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)। 3.मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन गति 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र।	हायर सेकण्ड्री में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए	30
				अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए	30
				शासकीय कार्य का अनुभव पर 100 अंको का Weightage देते हुए (प्रत्येक वर्ष हेतु 04 अंक) **अधिकतम 20 अंक**	20
				कम्प्युटर प्रायोगिक परीक्षा पर	20
				प्राथमिकता प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण में कार्यानुभव को प्राथमिकता	

उक्त संविदा रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियम एवं शर्तें निम्नवत् है :–

01. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत रायपुर के नाम से दिनांक 15.10.2025 से कार्यालयीन समय पर सायं 5:30 बजे तक प्राप्त किये जावेंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ई–मेल अथवा अन्य ईलेक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जावेंगे। निर्धारित समय–सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

02. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर का ज्ञापन क्रमांक एफ. 19–1/2009/1–3 नवा रायपुर, दिनांक 23/10/2013 की अधिसूचना क्रमांक 248 दिनांक 21/6/2013 के तहत आयुसीमा की गणना 01 जनवरी 2025 के आधार पर की जावेगी।

FILE NO. ....

03. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, (नियम शाखा) मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर का ज्ञापन क्रमांक एफ.3–2/2015/1–3 नवा रायपुर, दिनांक 03/08/2024 के आधार पर आयु की गणना की जावेंगी।
04. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालाय, दाउ कल्याण सिंह भवन, नवा रायपुर का ज्ञापन क्रमांक एफ. 3–2/2002/1–3 नवा रायपुर दिनांक 30/01/2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त अधिकारियों /कर्मचारियों को आयु सीमा में छुट अधिकतम 38 वर्ष तक रहेगी।
05. शासन द्वारा संविदा भर्ती के लिये समय–समय पर जारी निर्देश लागू होगें।
06. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
07. छः माह या उससे कम अवधि के अनुभव पर कोई अंक देय नहीं होगा। छः माह से अधिक अवधि के अनुभव के लिए 01 वर्ष के अनुभव का अंक दिया जावेगा (प्रत्येक वर्ष हेतु अंको की गणना इसी पद्धति के अनुसार की जावेगी)। समकक्ष या उच्च पद पर कार्यानुभव ही मान्य होगा।
08. आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
09. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।
10. संविदा नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिए निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
11. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 9–1/2012/1–3 दिनांक 31 दिसबंर 2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबध में समस्त शर्ते लागू होगी।
12. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत् अवकाश की पात्रता होगी।
13. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
14. संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
15. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु–लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
16. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मैरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा और उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा तदउपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।
17. सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।
18. शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओ में कार्यरत् आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जाना होगा।
19. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
20. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट उल्लेखित किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जायेगा।
21. आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करें।
22. आवेदक जिनकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
23. उम्मीदवार जिसनें ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात का समाधान हो जाये कि ऐसा करनें का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
24. नियुक्ति के संबध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

25. आवेदक एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने पर पात्र नहीं होंगे।

26. आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप / जानकारी कार्यालय जिला पंचायत के सूचना पटल एवं जिले के वेब साईट www.raipur.nic.inएवंhttps://raipur.gov.in पर उपलब्ध है। जिसका अवलोकन किया जा सकता है।

27. प्रारंभिक सूची के प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति में किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने पर मान्य नहीं किया जावेगा। मूल आवेदन में संलग्न किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंक प्रदान किये जायेंगे।

28. दावा आपत्ति में केवल लिपिकीय त्रुटि का ही सुधार किया जावेगा। इस संबध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

29. संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अटल नगर नवा रायपुर के निर्देशानुसार नियमों में परिवर्तन मान्य है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रायपुर(छ.ग.)

पृ.कमांक 3438/प्र.म.आयो.-ग्रा./जि.पं./2024 रायपुर, दिनांक 30/09/2025

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित्।
02. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित्।
03. संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास भवन, प्रथम तल, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित्।
04. विकास आयुक्त कार्यालय विकास भवन, चतुर्थ तल, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित्।
05. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी जिला रायपुर (छ.ग.) की ओर जिले के वेबसाईट में अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित्।
06. जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला रायपुर (छ.ग.) की ओर दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशनार्थ प्रेषित्।
07. अध्यक्ष / सचिव / सदस्य जिला स्तरीय चयन समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ...., जिला रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रायपुर (छ.ग.)